

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर

// आदेश //

नवा रायपुर दिनांक 02/05/2025

क्रमांक एफ 1-43(A)/2023/नवावि/50 :: राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2023 के अंतिम चयन परिणाम की मुख्य सूची के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संवर्ग में नियुक्ति के लिये अनुशासित निम्नलिखित उम्मीदवारों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परीक्षा पर वेतनमान रुपये वेतन मैट्रिक्स 56,100 (लेवल-12) (वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड पे-5400/-) में सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संवर्ग के पद पर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के सम्मुख दर्शाये कॉलम क्रमांक-7 में उल्लेखित कार्यालय में पदस्थ करता है:-

स. क.	लो.से आ. की चयन सूची का वरी. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी	चयनित श्रेणी	अभिलेख सत्यापन के समय अंकित वर्तमान पता	पदस्थापना का कार्यालय एवं जिला
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	श्री यशपाल	अ.पि.व.	अनारक्षित	मकान नं.-415 वार्ड नं.-20, ग्राम/पोष्ट पैरी पैरी, जिला -बालोद (छ.ग.)	सहायक संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला-रायपुर, छ.ग.
2	2	सुश्री चंचल यादव	अ.पि.व.	अनारक्षित	गली नं.-01 के सामने दीक्षित कॉलोनी माता चौरा, कुदुदण्ड बिलासपुर पो./ तहसील/जिला- बिलासपुर(छ.ग.)	सहायक संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला-रायपुर, छ.ग.
3	3	श्री राजीव कुमार पाण्डेय	अनारक्षित	अनारक्षित	ग्राम जरौघा तहसी व थाना तखतपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	सहायक संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला-रायपुर, छ.ग.

निरंतर.....2



4	4	श्री गोपाल लांझी	अ. जा.	अ. जा. दिव्यांग	ग्राम रेंगाखार खुर्द पो.राजनांदगांव तहसील कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	सहायक संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला-रायपुर, छ.ग.
5	5	सुश्री तनुजा बेलसरिया	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	ग्राम मोहगांव, पोस्ट कुल्हारकट्टा तह. -भानुप्रतापपुर जिला-कांकेर (छ.ग.)	सहायक संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला-रायपुर, छ.ग.
6	6	श्री शिवदास नेताम	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	ग्राम मांडरादरहा, पोस्ट जामगांव, तहसील सरोना, जिला-कांकेर (छ.ग.)	सहायक संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला-रायपुर, छ.ग.

शर्त:-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
- उक्त परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3, दिनांक 28.07.2020 के अनुसार "किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा"
- उपरोक्त परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी को जब प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा, तब वे अपनी उपस्थिति संचालनालय, महिला एवं बाल विकास इन्द्रावती भवन से प्रशासन अकादमी, रायपुर में देंगे तथा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
- परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी को परिवीक्षावधि के दौरान में विहित प्रशिक्षण, प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने वाले अधिकारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिये जा सकेंगे।
- परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करनी होगी, जैसा कि विहित की जाये। नियुक्तिकर्ता अधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा। जो व्यक्ति उपर्युक्त निहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण न हुआ हो अथवा जो सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया गया हो, की सेवाएँ परिवीक्षावधि के अंत में समाप्त की जा सकेंगी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएँ परिवीक्षावधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेंगी।
- शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 से शासित होंगे।



07. उक्त नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वरथता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जा रही है। अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड/जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर एक माह के भीतर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट विभाग में प्रस्तुत करेंगे। मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक रूप से अयोग्य पाये जाने पर अथवा पुलिस चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विपरीत तथ्य पाए जाने पर, परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
08. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
09. चयनित अभ्यर्थीद्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
10. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी सेवा) नियम, 1960 के नियम-12 के अनुसार सेवायें किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नियुक्त व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह के वेतन तथा भत्तों का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त के अंतर्गत देय रकम उक्त व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
11. नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उसी क्रम में मानी जावेगी, जिस क्रम में लोक सेवा आयोग ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश शासन को की है।
12. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
13. परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बॉण्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि वह परिवीक्षावधि की सफलतापूर्वक उत्तीर्ण न करने की दशा में परिवीक्षावधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा। बॉण्ड का प्रारूप संलग्न है।
14. उक्तनियुक्ति आदेशमान. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्र. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
15. उपर्युक्त उम्मीदवारों द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर अपने निर्धारित पदस्थपना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा जिसके लिए पृथक से कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
16. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।
17. उपरोक्त अधिकारियों की पदस्थापना संबंधी आदेश पृथक से जारी की जावेंगी।
18. चरित्र सत्यापन में उपर्युक्त न पाये जाने पर यह आदेश बिना किसी सूचना के स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुभाष चन्द्र कुजूर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग